महत्वपूर्ण

संख्या– 1160 (1)/छः–पु0–9–16–31(90)/2010

प्रेषक,

मणि प्रसाद मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

2–समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिसअधीक्षक उत्तर प्रदेश।

गृह (पुलिस) अनुभाग–9 लखनऊः दिनांकः 11 मई, 2016

विषयः–उत्तर प्रदेश में एसिड (तेजाब) की खुलेआम बिक्री को नियंत्रित करने के लिए निर्गत उत्तर प्रदेश विष (कब्जा और विक्रय) नियमावली,2014 के कियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–1160/छः–पु0–9–16–31(90)/ 2010 दिनांक 10 मई,2016 द्वारा किमिनल रिट याचिका संख्या–129/2006 लक्ष्मी बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा अन्य आदेशों के साथ–साथ एसिड (तेजाब) के कय–विकय तथा भण्डारण को विनियमित करने तथा उनका कठोरता से प्रवर्तन करने हेतु मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन की ओर से निर्गत शासनादेश संख्या एस0सी0–06(1)/छः–पु0–9–13–31(90)/2010 दिनांक 16.8.2013 एवं तत्कम में दिनांक 14.07.2014 को अधिसूचित उत्तर प्रदेश विष (कब्जा और विकय) नियमावली,2014 में विहित प्रावधानों का कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की मासिक सूचना गृह विभाग की वेबसाइट uphome.gov.in पर प्रत्येक माह की 7वीं तिथि तक अनिवार्य रूप से अपलोड करने के निर्देश दिये गये थे।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद स्तर पर उत्तर प्रदेश विष (कब्जा और विकय) नियमावली,2014 में विहित प्रावधानों के अनुपालन से संबंधित कृत कार्यवाही की सूचना प्रत्येक माह की 07 तारीख तक गृह विभाग की वेबसाइट uphome.gov.in के स्थान पर फैक्स अथवा गृह विभाग के **ई–मेल shome@nic.in** पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मणि प्रसाद मिश्र)
सचिव।

संख्याः एवं दिनांकः उपरोक्त–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
(2) महानिदेशक अभियोजन, उ0प्र0, लखनऊ।
(3) सदस्य सचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ।
(4) समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
(5) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(6) समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
(7) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(उमेश कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

महत्वपूर्ण

संख्या– 1160 /छः–पु0–9–16–31(90)/2010

प्रेषक,

मणि प्रसाद मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2–समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिसअधीक्षक उत्तर प्रदेश।

गृह (पुलिस) अनुभाग–9 लखनऊः दिनांकः 10 मई, 2016

विषयः–उत्तर प्रदेश में एसिड (तेजाब) की खुलेआम बिक्री को नियंत्रित करने के लिए निर्गत उत्तर प्रदेश विष (कब्जा और विक्रय) नियमावली,2014 के कियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत ही हैं कि क्रिमिनल रिट याचिका संख्या–129/2006 लक्ष्मी बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा अन्य आदेशों के साथ–साथ एसिड (तेजाब) के कय–विकय तथा भण्डारण को विनियमित करने तथा उनका कठोरता से प्रवर्तन करने हेतु नियमावली प्रख्यापित करने के निर्देश दिये गये थे। इस आदेश के अनुपालन में मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन की ओर से शासनादेश संख्या एस0सी0–06(1)/छः–पु0–9–13–31(90)/2010 दिनांक 16.8.2013 द्वारा इस संबंध में आवश्यक दिशा–निर्देश जारी किए गये थे। तदुपरान्त उपर्युक्त निर्देशों के अनुक्रम में दिनांक 14.07.2014 को उत्तर प्रदेश विष (कब्जा और विक्रय) नियमावली,2014 अधिसूचित की गयी थी जो गृह विभाग की वेबसाइट uphome.gov.in पर उपलब्ध है।

इस संबंध में मुझे आपसे यह कहने की अपेक्षा की गयी है कि उपर्युक्त नियमावली में विहित प्रावधानों का कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय तथा कृत कार्यवाही विषयक मासिक सूचना गृह विभाग की वेबसाइट uphome.gov.in पर

प्रत्येक माह की 7वीं तिथि तक अनिवार्य रूप से अपलोड की जाय। मण्डलायुक्तगण तथा परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षकगण अपने–अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उपर्युक्त नियमावली के प्रावधानों के प्रवर्तन की कार्यवाही का सघन पर्यवेक्षण करते हुए जनपदों से शासन को नियमित रूप से सूचनायें प्रेषित कराना सुनिश्चित करेंगे।

भवदीय,

(मणि प्रसाद मिश्र)
सचिव।

संख्याः एवं दिनांकः उपरोक्त–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
(2) महानिदेशक अभियोजन, उ0प्र0, लखनऊ।
(3) सदस्य सचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ।
(4) समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
(5) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(6) समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
(7) गार्डबुक।

आज्ञा से,

(उमेश कुमार तिवारी)
अनुसचिव।